Sl. No.	State/UT	Number of families targetted for assistance	
		SC	ST
7.	Haryana	59000	—
8.	Himachal Pradesh	30000	4000
9.	Jammu & Kashmir	4000	1800
10.	Karnataka	200000	9900
11.	Kerala	43500	5900
12.	Madhya Pradesh	228000	280000
13.	Maharashtra	153000	136100
14.	Manipur	1000	5000
15.	Orissa	66000	95600
16.	Pondicherry	2500	—
17.	Punjab	72000	—
18.	Rajashtan	195000	72000
19.	Sikkim	2000	5600
20.	Tamil Nadu	333000	10500
21.	Tripura	19200	13500
22.	Uttar Pradesh	326000	4500
23.	West Bengal	115000	33700
24.	Chandigarh	1000	—
25.	A & N Island	—	1000
26.	Daman & Diu		700
	GRAND TOTAL	2562000	384300

Source: Monthly Progress Report April-1996
The Twenty-Point Programme-1996
Department of Programme Implementation.

ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के संबंध में सर्वेक्षण

*397. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत देश में, विशेषकर गुजरात में, ग्रामीण भूमिहीन और आवासहीन श्रमिकों के संबंध में जिला-वार कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या-क्या हैं तथा उनका जिला-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे भूमिहीन श्रमिकों को भूमि और मकान उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के लिए कोई वित्तीय सहायता मंजूर की गई है;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(ङ) क्या इस प्रयोजन हेतु विदेशी संगठनों से भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री वाई० के० नायडू): (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा गुजरात राज्य सहित देश के ग्रामीण भूमिहीन एवं बेघर मजदूरों के संबंध में कोई जिला-वार सर्वेक्षण नहीं करवाया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) व (घ) केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत भूमिहीन और बेघर मजदूरों को भूमि और आवास मुहैया कराने के लिए गुजरात सहित देश की राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती हैं और ऐसा कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है।

इंदिरा आवास योजना को केन्द्र द्वारा गुजरात सहित देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, मुक्त बंधुवा मजदूरों के साथ साथ गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण गरीबों को निशुल्क आवास इकाइयां मुहैया कराने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। बशर्ते कि गैर अनुसूचित जाति/जनजाति को मिलने वाले लाभ कुल आबंटन के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

इंदिरा आवास योजना गुजरात के 19 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। 1996-97 के दौरान गुजरात राज्य को इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु 3255.70 लाख रुपए के केन्द्रीय आवंटन की तुलना में 1627.85 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई। 1996-97 के दौरान गुजरात के लिए इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 33633 आवासों का है। जून, 1996 तक 6260 आवासों को बनाया गया और लगभग 14677 आवास निर्माणाधीन थे।

सूचना के अनुसार 1017.13 लाख रुपए का खर्च कर लिया गया था।

(ङ) इन योजनाओं के अन्तर्गत विदेशी संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।